9

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/228

1. भूली बाई पत्नी मांगीलाल जाति काछी(डिलीट)
2. बालचंद आत्मज स्व0 मांगीलाल जाति काछी जरिये कायम मुकामान–
   2/1 गुलाबचंद पुत्र स्व0 बालचंद
   2/2 मदनलाल पुत्र स्व0 बालचंद
   निवासीगण ग्राम बक्शपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
   2/3 कुन्ती बाई पुत्री स्व0 बालचंद पत्नी संजय कुमार निवासी ग्राम भोतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
   2/4 सीमा बाई पुत्री स्वर्गीय बालंचद पत्नी प्रहलाद निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
3. द्वारकीलाल आत्मज स्वर्गीय मांगीलाल जाति काछी निवासीगण बक्शपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0

––अपीलान्टगण

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज सूरजमल जाति गूर्जर निवासी ग्राम खैरोली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी राज0
3. तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी राज0
4. उपपंजीयक तालेड़ा, पंजीयन कार्यालय तालेड़ा जिला बून्दी राज0

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 19.02.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 36/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि खतौनी संख्या 67 पुरानी 66 की भूमि खसरा संख्या 98 रकबा 7 बीधा 12 बिस्वा नहरी प्रथम वाके ग्राम खैरोली पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का

नाम अंकित है। जमाबंदी सवत् 2067 से 2070 वाद पत्र के साथ संलग्न है। घासीलाल आत्मज ग्यारस्या जी के खाते एवं कब्जे काश्त की थी। घासीलाल जी के एक पुत्र ग्यारस्या हुआ। जिसका स्वर्गवास हो चुका है। ग्यारस्या जी के एक लड़का मांगीलाल हुआ। जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है। माँगीलाल की बेवा भुली बाई एवं तीन लड़के बालचंद, मोहनलाल व द्वारकालाल हुए। जो जीवित है जिनकी ओर से वाद पेश किया गया है। विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में ग्यारस्या वल्द घासी जाति काछी का नाम दर्ज था। भू प्रबंध (सेटलमेन्ट) विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में बरधा वल्द ग्यारस्या का नाम अंकित कर दिया। जबकि ग्यास्या जी के केवल एक पुत्र माँगीलाल हुआ। ग्यारस्या जी के वरथा नाम का कोई पुत्र नही हुआ। बरधा द्वारा विवादित भूमि पर सूरजमल आत्मज जयकिशन का कब्जा बताकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपने स्थान पर सूरजमल का नाम अंकित करने में अनापत्ति पेश कर सूरजमल का नाम अंकित करवा दिया। जिसका इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण का नाम खातेदार के रूप में अंकित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। विवादित भूमि वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिस पर सूरजमल का कब्जा काश्त नहीं रहा। वरधा, ग्यारस्या का पुत्र नही है इसलिए उसे विवादित भूमि के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नही है। राजस्व रिकार्ड से सूरजमल एवं सूरजमल के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अंकित उसके पुत्र मॉगीलाल का नाम विलोपित किया जाना एवं वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। वादीगण के पति व पिता मांगीलाल के करीब दो ढ़ाई वर्ष पहले बीमार हो जाने से वादीगण द्वारा उनका जगह जगह इलाज करवाया। बाद में वादीगण बक्शपुरा आ कर रहने लगे। आज से करीब एक वर्ष पहले मांगीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण के द्वारा अपने पति व पिता के इलाज कराने के दौरान उक्त भूमि के पड़त रहने पर उक्त भूमि पर आज से करीब दो वर्ष पहले प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरन कब्जा कर लिया। जिसे बेदखल कर वादीगण को उक्त भूमि पर कब्जा दिलवाया जाना प्रार्थनीय है। विवादित भूमि वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो ग्यारस्या वल्द घासी के कब्जे काश्त की थी। जिसे जयकिशन आत्मज लछमीराम के रहन बिल कब्जा बताकर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि बरधा वल्द ग्यारस्या के नाम से दर्ज कर बरधा द्वारा विवादित भूमि सूरजमल के कब्जे काश्त में बता कर राजस्व रिकार्ड में गैरकानूनी ढ़ग से फेरबदल किया था। सूरजमल का विवादित भूमि से कोई संबंध नही है। बरघा नाम का कोई पुत्र ग्यारस्या के नहीं है। ग्यारस्या के एक मात्र पुत्र वादीगण का पति व पिता मांगीलाल है। सूरजमल का स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठा कर प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल द्वारा विवदित भूमि पर जबरन कब्जा किया है। जिसे बेदखल कर वादीगण को उक्त भूमि पर कब्जा दिलवाया जाना एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण का नाम खातेदार के रूप में अंकित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। सूरजमल एवं उसके पुत्र मांगीलाल का विवादित भूमि से कोई सबंधं नहीं है। राजस्व रिकार्ड में मांगीलाल का नाम अंकित होने से मांगीलाल विवादित भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। मांगीलाल को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद नही किया गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति अर्थ में सम्भव नही हो सकेगी। विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के पिता सूरजमल द्वारा सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियो से मिल कर विवादित भूमि पर अपना कब्जा बताकर उसे अपने नाम खाते में अंकित करवा लिया था। वर्तमान में विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में

मांगीलाल का नाम दर्ज है। मांगीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पांबद करवावे कि वह उन्हे विवादित भूमि या उसके किसी भी हिस्से का अन्य व्यक्तियों को बेचान नही करे। उनके पक्ष में किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करावें। वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में वादीगण का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जाये। उक्त वाद में राजस्थान राज्य सरकार जयें जिलाधीश महोदय, बूंदी एवं तहसीलदार साहब तालेड़ा एवं उपपंजीयक महोदय तालेड़ा को पक्षकार बनाया गया हैं जिन्हे कानूनन दो माह का नोटिस दिया जाना एवं नोटिस दिये जाने के उपरांत भी उनके विरूद्ध वाद पेश किया जा सकता है। वादीगण का वाद अत्यधिक आवश्यक प्रकृति का है जिसमे राज्य सरकार को दो माह का नोटिस देकर वाद पेश करने का इंतजार किया गया तो प्रतिवादीगण व उनके अधिनस्थ कर्मचारी वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल कर देगे जिससे वादीगण का वाद पेश करने का उदेश्य ही व्यर्थ हो जावेगा। इसीलिऐ धारा 80 (2) जा०दी० के प्रार्थना पत्र के साथ उक्त वाद श्रीमानू के समक्ष पेश है। वाद कारण आज से करीब दो वर्ष पहले प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने वादीगण द्वारा दिनांक 07–03–2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त भूमि पर कब्जा छोड़ कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवा कर उनका नाम अंकित करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी इंख्या 1 के इन्कार कर दिया और धमकी दी की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम अंकित है। इसलिए उक्त भूमि को मै अन्य व्यक्तियों को बेचान करूँगा। यही कारण वादोत्पन्न है जो लगातार उत्पन्न हो रहा है इसलिए वाद अन्दर अवधि श्रीमान् के समक्ष पेश है। विवादित भूमि वाके ग्राम खैरोली तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में स्थित होने से श्रीमान् को इस वाद को सुनने के श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की स्थाई निषेयाज्ञा, अधिकार घोषणा, बेदखली एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमाई जावे :–1. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि से वेदखल कर उक्त भूमि पर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे। कब्जा प्राप्त होने तक यादीगण को प्रतिवादी सख्या 1 से 10,000 रूपये प्रतिबीघा की दर से मुआवजा राशि दिलवायी जावे। 2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाचंद फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान नही करे, उक्त भूमि पर कोई भार कायम नहीं करे ऐसा प्रतिवादी संख्या 1 न तो स्वयं करे न ही अन्यों से करावे। 3. यह कि वादीगण को उक्त भूमि खसरा संख्या 98 रकबा 7 बीघ 12 बिस्वा वाके ग्राम खैरोली तहसील तालेड़ा जिला बूंदी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे। राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 माँगीलाल का नाम विलोपित किया जावे। इस संबंध में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। 4. यह कि खर्चा वाद व अन्य न्यायोचितय सहायता जो वादीगण के पक्ष में सुलभ हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2019 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने का निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय विधी न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय तालेड़ा द्वारा प्रतिवादी/रेस्पीडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर वादीगण अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब दावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत उक्त कृषि भूमि पर अपने अधिकारों के सम्बन्ध में एवं वादीगण का अधिकार नहीं होने के सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई उनका निस्तारण उक्त वाद में तनकियात कायम कर दोनों पक्षों की शहादत लेने के उपरांत ही किया जा सकता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करके उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज होने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वियादित भूमि ग्यारस्या पुत्र घासीलाल के खाते एवं कब्जे काश्त की थी ग्यारस्या जी के एक लड़का मांगीलाल हुआ। राजस्व रिकार्ड में ग्यारस्या वल्द घासी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज था भू प्रबंध सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में वरघा वल्द ग्यारस्या का नाम अंकित कर दिया। ग्यारस्या जी के दरथा नाम का कोई पुत्र नही था। ग्यारस्या जी के एक पुत्र मौगीलाल हुआ। वादीगण/अपीलांट्स मॉगीलाल की बेवा एवं पुत्र है। बरधा द्वारा विवादित भूमि पर सुरजमल आत्मज जयकिशन का कब्जा बता कर राजस्व रिकार्ड में उसके स्थान पर सूरजमल का नाम अंकित करने में अनापत्ति प्रस्तुत कर सुरजमल का नाम अंकित करवा दिया। रेस्पोडेन्ट सुरजमल का पुत्र है। वादीगण/अपीलांट्स द्वारा इस सम्बन्ध में अपने वाद के साथ दस्तावेज पेश किये थे जिससे प्रमाणित है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा उक्त भूमि को अपने खाते में दर्ज करवाया था। इन सब तथ्यों के बारें में न्यायालय दोनों पक्षों की शहादत लेने के उपरांत भी अंतिम निष्कर्ष कर पहुँच सकता था परन्तु अधिनस्य न्यायालय ने उक्त वाद में जल्दबाजी दिखा कर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज करने में कानूनी भूल की है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर अपने जवाव दावे में जो आपत्तियाँ उठाई थी एवं जो दस्तावेज पेश करना बताया है उसके सम्बन्ध में भी न्यायालय को वाद में तनकियात कायम कर दोनों पक्षों की शहादत लेने के उपरांत वाद का निर्णय करना चाहिये था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद को प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 26–12–2019 निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय तालेड़ा द्वारा अपने निर्णय में विचारणीय प्रश्न यह आया कि वादीगण के पक्ष में वाद करने का अधिकार उत्पन्न हुआ या नही के सम्बन्ध में अंकित किया है कि वादीगण वाद वर्णित भूमि के खातेदार नहीं होने के कारण वाद हेतु उत्पन्न नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में वर्णित तथ्यों से हट कर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में वर्णित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 26–12–2019 निरस्त होने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2012(2) राज. पेज 806, आर.आर.टी. 2011–12(सप्लीमेंट्री) पेज 71 तथा पेज 47, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1395 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को खारिज फरमा कर उक्त वाद में तनकियात कायम कर दोनों पक्षों की शहादत लेने के उपरांत निर्णय एवं डिकी पारित करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय को प्रदान किए जाने का निवेदन किया। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय एवं डिक्री पारित करने के लिए प्रति प्रेषित किए जाने एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो अपीलांट के पक्ष में सुलभ हो अपीलांट को प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने यह वाद पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को को महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या खारीज किये जाने योग्य है। अपीलांटगण पूर्व खातेदार ग्यारस्या आत्मज घांसी कौम कांछी के वारिसान नही है इस कारण अपीलांटगण को वाद वर्णित कृषि भूमि पर वाद लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार अपीलांट मांगीलाल के क्रमश पत्नी तथा पुत्रगण है तथा स्वर्गीय मांगीलाल, ग्यारस्या जी का पुत्र है और ग्यारस्या जी घांसी लाल का पुत्र है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमि कभी भी ग्यारस्या आत्मज घांसी व उनकी मृत्यु के पश्चात घांसीलाल तया घांसी लाल की मृत्यु के पश्चात मांगीलाल के खातेदारी व कब्जे काश्त में नहीं रही है। उक्त कारणवश अपीलांटगण का वाद वर्णित कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का हित व अधिकार निहित नहीं है तथा अपीलांटगण वाद वर्णित कृषि भूमि के सम्बन 1 में किसी वर्ग के अभिधारी है तथा किसी प्रकार से वाद वर्णित कृषि भूमि में हित व अधिकार निहित है को वर्णित नहीं किया है। इस कारण अपीलांटगण का वाद हित व अधिकार के अभाव में खारीज किये जाने योग्य है। अपीलांटगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है सही वस्तु स्थिती इस प्रकार है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पूर्व में ग्यारस्या आत्मज घांसी के खातेदारी अधिकार की

थी। जो कि जमाबन्दी सम्वत 2003–07 की जमाबन्दी से प्रमाणित है। तत्समय भी वाद वर्णित कृषि भूमि लक्ष्मण सिंह वल्द बनसिंह कौम राजपूत के रहन के आधार पर कब्जे काश्त में थी। उसके बाद तत्कालीन खातेदार ग्यारस्या वल्द घांसी ने वाद वर्णित कृषि भूमि को 400 रूपयें में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी जयकिशन के रहन रखकर कब्जा संभला दिया या तथा रहन का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी जयकिशन के नाम दिनांक 26.08.1956 को तस्दीक हुआ। इस प्रकार रहन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी जयकिशन वाद वर्णित कृषि भूमि पर अतिचारी के आधार पर काबिज नही होकर बल्कि अभिचारी की हैसियत से काबिज हुआ तथा लगान अदा करने लगा। आज दिन तक पूर्व खातेदार ग्यारस्या आत्मज घांसी के द्वारा व उसके वारिसान के द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि को बन्धक मुक्त नही करवाया गया है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कानूनन बेदखल करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है इस प्रकार धारा 19 काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार हो गया। इस प्रकार वाद वर्णित कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता की हैसियत एक वैध अभिधारी थी तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भी वैध अभिधारी की है। उपरोक्त कारणवश जवाब प्रस्तुत कर्ता को वाद वर्णित कृषि भूमि से बेदखल नही किया जा सकता है। इस कारण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील एवं वाद खारीज किये जाने योग्य है। खातेदार ग्यारस्या के पुत्र बरधा के द्वारा दिनांक 15.01.1964 को स्वतंत्र सहमति से ग्राम पंच की उपस्थिति में जवाब प्रस्तुतकर्ता के पिता के नाम वाद वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी दिये जाने में सहमति व्यक्त की तथा साथ ही में यह भी व्यक्त किया कि वर्षों से सूरजमल आत्मज जयकिशन का याद वर्णित कृषि भूमि का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 15.01.1964 को लेण्ड होल्डर के द्वारा पूर्व खातेदार की सहमति से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किया गया तथा वाद वर्णित कृषि भूमि का लगान अदा करने के लिए जवाब प्रस्तुतकर्ता के पिता को अधिकृत किया गया तब से तथा उससे पूर्व रहन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दादाजी तथा तत्पश्चात पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद वर्णित कृषि भूमि पर लगान पिलाई जमा करवाते चले आ रहे है। इससे प्रथम दृष्ट्या साबित होता है कि जवाब प्रस्तुतकर्ता द्वारा वादीगण से वाद वर्णित कृषि भूमि का जबरन कब्जा नहीं लिया गया है। जवाब प्रस्तुतकर्ता की वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रास्थिती अभिधारी की है न कि अतिचारी की। इस कारण अपीलांटगण का वाद एवं अपील चलने योग्य नहीं है । जमाबन्दी तथा खसरा गिरदावरी में वर्णित अंकन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में है अर्थात जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार है तथा खसरा गिरदावरी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है उक्त कारणवश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अतिचारी के रूप में बेदखल नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता सूरजमल दिनांक 15.11.964 को ही वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदार के रूप में अनुप्रमाणित किया गया। तत्समय सूरजमल के द्वारा खातेदारी अधिकार वाद वर्णित कृषि भूमि पर अर्जित कर लिये थे। तत्समय ही यदि अपीलांटगण का वाद वर्णित कृषि भूमि पर कोई हित व अधिकार था तो उस समय ही कार्यवाही करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई है और यह वाद पत्र देरी से प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन अवधि बाधित है। अपीलांटगण तथा उनके पूर्वज ने वाद वर्णित कृषि भूमि पर कभी भी कृषि कार्य नहीं किया है और न ही ग्राम खेरोली के निवासी है कानूनन कृषि भूमि पर हित व अधिकार रखने वाला व्यक्ति गायं छोड़कर चला जाता है तथा लगान आदि की व्यवस्था नही करके जाता है तथा

कृषि कार्य करना बन्द कर देता है तो कानूनन ऐसे खातेदारी अभिधारी के अधिकार वाद वर्णित कृषि भूमि पर समाप्त हो जाते है। प्रस्तुत वाद में अपीलांटगण व उसके पूर्वजो का वाद वर्णित कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से हित व अधिकार निहित नहीं है। अपीलांटगण व उनके पूर्वजो के द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया वादीगण के वाद पत्र के मुताविक अपीलांटगण ग्राम खेरोली में निवास नहीं करते हैं कभी भी वाद वर्णित कृषि भूमि का लगान अदा नही किया है और न ही इसके लिए किसी को नियुक्त किया है उपरोक्त कारण से अपीलांटगण के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती है । वाद वर्णित कृषि भूमि का लगान, जमा पिलाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा लेण्ड होल्डर को अदा की जा रही है उससे पूर्व पिता के द्वारा अदा की जा रही थी तथा लेण्ड होल्डर के द्वारा ग्रहण की जा रही है। वाद वर्णित कृषि भूमि का लगान अदा करने वाले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्रास्थिति एक अभिधारी की है न कि अतिचारी की। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध बेदखली का वाद नही लाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को वाद हेतुक उत्पन्न होना साबित करने में असफल मानते हुए आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1961 पेज 167, आर.आर.डी. 1973 पेज 20, आर.आर.डी. 1971 पेज 154, आर.आर.डी. 1996 पेज 232, आर.आर.डी. 1970 पेज 179, आर.आर.डी. 1961 पेज 198, आर.आर.डी. 1977 पेज 381, आर.आर.डी. 1977 पेज 39, आर.आर.डी. 1977 पेज 208 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खैरोली तहसील तालेड़ा की खसरा संख्या 98 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि के सम्बंध में हक घोषणा, बेदखली, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार वाके ग्राम खैरोली तहसील तालेड़ा की वादग्रस्त खसरा नम्बर 98 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा मांगीलाल आत्मज सूरजमल कौम गूजर सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज घांसीलाल आत्मज ग्यारस्या के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है जो अपीलांटगण की पुश्तैनी भूमि है। अपीलांटगण का कथन है कि घांसीलाल के एक पुत्र ग्यारस्या हुआ तथा ग्यारस्या के एक पुत्र मांगीलाल हुआ तथा अपीलांटगण मांगीलाल की पत्नी व पुत्र है। अपीलांटगण का यह भी कथन है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में ग्यारस्या वल्द घांसी के स्थान पर बरधा वल्द ग्यारस्या का नाम

अंकित कर दिया गया तथा बरधा द्वारा वादग्रस्त भूमि पर सूरजमल आत्मज जयकिशन का कब्जा बताकर राजस्व रिकॉर्ड में सूरजमल का नाम अंकित करवा दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अपने कथन के समर्थन में वादीगण अपीलांटगण की ओर से भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन–पत्र (फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा) की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। उक्त खसरा परिशोधन–पत्र में गत इन्द्राज के कॉलम में बरदा वल्द ग्यारसा कोम काछी सा. बक्षपुरा दर्ज है तथा वर्तमान इन्द्राज के कॉलम में सूरजमल वल्द जयकिशन कौम गूजर सा. देह का नाम दर्ज है। अतः उक्त तथ्य दस्तोवजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में बरदा वल्द ग्यारस्या कोम काछी की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खसरा परिशोधन पत्र के विशेष विवरण के कॉलम में वादग्रस्त आराजी पर सूरजमल का कब्जा काश्त बताया जाना अंकित है तथा कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाकर बरदा वल्द ग्यारस्या कोम काछी के स्थान पर सूरजमल वल्द जयकिशन कोम गूजर का नाम दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। अपीलांटगण का कथन है कि वह वादग्रस्त आराजी के खातेदार ग्यारस्या के वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व सूरजमल की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड नहीं होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में किए गए परिवर्तन के द्वारा ही वादग्रस्त भूमि सूरजमल की खातेदारी में दर्ज किया जाना प्रकट होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के कॉलम संख्या 2 में स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में ग्यारस्या आत्मज घांसी की खातेदारी में थी। अतः यह तथ्य स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में ग्यारस्या आत्मज घांसी की खातेदारी में दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है जिसकी मद संख्या 6 में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने वादग्रस्त भूमि खातेदार ग्यारस्या वल्द घांसी द्वारा 400 रूपये में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा जयकिशन वल्द लक्ष्मीराम के रहन रखे जाने तथा कब्जा संभलाये जाने का कथन अंकित किया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता सूरजमल का नाम विधिक रूप से दर्ज होने का तथ्य उभयपक्षकारान की साक्ष्योंपरांत ही निर्धारित किया जाना संभव है। हमारे मत में भू–प्रबन्ध विभाग को बिना किसी विधिक आधार के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में वादगस्त भूमि के सम्बंध उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर गंभीर एवं महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में समुचित विवाद्यक बिन्दु कायम किए जाकर तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक था तथा कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई। उभयपक्षकारान की साक्ष्य नहीं ली गई तथा सी. पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना किए बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार पर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। ***सी.पी.सी. का आदेश 7 नियम 11 इस प्रकार है– "वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है (ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है (घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है (परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वदी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गम्भीर अन्याय होगा) (ड) जहां वाद दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है (च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।"*** अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2019 में अभिलिखित किया है कि वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 को अतिचारी की हैसियत से काबिज होना प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहे है तथा वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद करने का अधिकार एवं वाद हेतुक उत्पन्न होना साबित करने में असफल रहे है। परन्तु हमारे मत में प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किस हैसियत से है इस विधिक प्रश्न का हल प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम किए जाने के पश्चात उभयपक्षकारान की साक्ष्योंपरात ही किया जाना संभव है। जहां तक वाद हेतुक उत्पन्न होने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में चूंकि वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध से पूर्व बरदा खल्द ग्यारस्या की खातेदारी में दर्ज होना प्रकट होता है तथा अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को स्वयं की पुश्तैनी भूमि होने के अधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण अपीलांटगण ने वादपत्र की चरण संख्या 11 में वादग्रस्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी

द्वारा अन्य व्यक्तियो को बैचान करने की धमकी देने पर उत्पन्न होना अंकित किया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को दीगर को बैचान किए जाने की धमकी दिया जाना हमारे मत में ठोस वाद कारण है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2019 में वाद कारण प्रकट नहीं होना मानते हुए आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के आधार पर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बंध उभयपक्षकारान के मध्य हक अधिकारों को लेकर गंभीर एवं महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है जिन पर उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 36/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर वादग्रस्त भूमि में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों के सम्बंध में समुचित तनकीयात कायम करें तथा प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.03.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा